No. I.12011/4/2009-Org. 662
Directorate General, ITBP
(Ministry of Home Affairs)
Government of India,

Block No.2, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 16 June, 2011

Memorandum

Subject: Notification to Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2011.

A copy of Notification to Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2011after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 411 (E) dated 27/05/2011 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notification to all Units, Sector HQs and Training Centres under their ops/administrative control.

Encl: As above.

(Shyam Mehrotra)
Dy Inspector General (Org)

To
1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training Zone)/IG (L&C) Zone, ITB Police.
2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
4. Commandants Base Hospital Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.
5. Sh. Jagmal Singh, Supdt. (Leg-I), OL Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:
1. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITB Police.
3. Senior Administrative Officer (Pers), Dte Genl, ITBP.
4. Second-in-Command, Rectt. Cell, Dte. Gen., ITBP.
5. Dy. Commandant(IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2011/ज्येष्ठ 6, 1933
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2011/JYAISTHA 6, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

सा.का.नि. 411(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरी काडर (समूह 'क') पद भर्ती नियम, 1999 को, उनबातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के इंजीनियरी काडर में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के चिकित्सा देख–रेख पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अंतर्गत इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहॉं केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉं वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर)	04* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 4, 37400–67000 रू0 + ग्रेड वेतन 8900 रू0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** ऐसे कमांडेंट (इंजीनियर), जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में समूह 'क' में बीस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी या समतुल्य में डिग्री है और जो विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हो। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,

	इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** ऐसे अधिकारी जो सैनिक अभियंता सेवा या केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभाग या जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल या केन्द्रीय अर्ध सैनिक संगठन में सदृश पदधारण किए हुए हैं या जिन्होंने ग्रेड वेतन 8700 रू0 वाले पदों में दो वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने ग्रेड वेतन 7600 रू0 वाले पदों में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सिविल इंजीनियरी में डिग्री है या समतुल्य। **टिप्पण 1:**— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन द्वारा:** (i) जो सेना/वायु सेना/ नौसेना में इंजीनियर कोर में ब्रिगेडियर या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं; या (ii) जो सेना/वायु सेना/ नौसेना में इंजीनियर कोर में कर्नल या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष और समूह 'क' में कुल बीस वर्ष सेवा की है। **टिप्पण:–** पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(13)	**(14)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, – अध्यक्ष 2. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. किसी अन्य पुलिस संगठन का महानिदेशक – सदस्य 4. संयुक्त सचिव(पुलिस) गृह मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. कमांडेंट (इंजीनियर)	09* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 4, 37400–67000 रू0 + ग्रेड वेतन 8700 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप कमांडेंट (इंजीनियर) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की है और समूह 'क' में पंद्रह वर्ष सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी या समतुल्य में डिग्री है और जो विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यकमों में अर्हित हों। **टिप्पण 1.—** ऐसे उप कमांडेंट (इंजीनियर) की बाबत प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्त वह होगी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद्धारण किए हुए हैं, उस श्रेणी में नियमित आधार पर चार वर्ष और समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष सेवा की है उन पर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखने की शर्त लागू नहीं होंगी। **टिप्पण 2.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3.—** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** सेना के इंजीनियर कोर के ऐसे लेफ्टीनेंट कर्नल या सैनिक अभियंता सेवा या केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभाग या जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल या केन्द्रीय अर्धसैनिक संगठन के ऐसे अधिकारी जो सदृश पदधारण किए हुए हैं या जिन्होंने ग्रेड वेतन 7600 रू0 वाले पदों में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सिविल इंजीनियरी में डिग्री है। **टिप्पण 1:—** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर या बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉं एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉं यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य 3. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 4. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप कमांडेंट (इंजीनियर)	16* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 6600 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)
लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक कमांडेंट (इंजीनियर) जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति द्वारा :** ऐसे अधिकारी जो सदृश या समतुल्य पद्धारण किए हुए हैं या जिन्होंने केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभाग या जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल या केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के अधीन ग्रेड वेतन 5400 रू0 वाले पदों में पॉच वर्ष सेवा की है और जिनके पास सिविल इंजीनियरी में डिग्री है। **टिप्पण 1**:– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर या बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक कमांडेंट (इंजीनियर)	43* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 3, 15600– 39100 रू0 + ग्रेड वेतन 5400 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण.**— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरी में डिग्री। **शारीरिक मानक :** (i) पुरूष के लिए: ऊंचाई– 165 से.मी. छाती– 81 से.मी. (बिना फुलाए) 86 से.मी. (फुलाकर)	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष।

वजन– 50 कि0ग्रा0 दृष्टि (चस्मा सहित या चस्मा के बिना) दूर दृष्टि: एक ऑख की 6/6, दूसरी ऑख की 6/9 निकट दृष्टि: एक ऑख की 0.6 और दूसरी ऑख की 0.8 (ii) महिला के लिए: ऊंचाई– 157 से.मी. छाती– लागू नहीं होता वजन– ऊँचाई के अनुपातिक दृष्टि (चस्मा सहित या चस्मा के बिना) दूर दृष्टि: एक ऑख की 6/6, दूसरी ऑख की 6/9 निकट दृष्टि: एक ऑख की 0.6 और दूसरी ऑख की 0.8 अभ्यर्थियों को सहत अंतर्जानु और चपटे पैर वाला नहीं होना चाहिए।		

(11)	(12)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसक न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (ओवरसियर) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय अर्धसैनिक संगठन के ऐसे अधिकारियों में से जो नियमित आधार पर सदृश पद्धारण किए हुए हैं, और जिनके पास सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या डिग्री है। **टिप्पण 1:–** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर या बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्दीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉं एक से अधिक पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉं यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति के पश्चात पुनर्नियोजन द्वारा :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
प्रोन्नति और पुष्टिकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिये समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. I.12011/4/2009-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2011

G.S.R. 411(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in Engineering Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Engineering Cadre, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale .**— The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment under the provisions of the rules.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1958 GI/11-3

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deputy Inspector General (Engineer)	4* 2011 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs.8900.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By promotion failing which by deputation or re-employment failing which by re-employment of Ex-servicemen.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(12)

By Promotion:

Commandant (Engineer) with two years regular service in the grade and having twenty years Group 'A' regular service in the Indo-Tibetan Border Police Force and having degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised university or institution and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Officers holding analogous posts or with two years service in posts in Grade Pay Rs. 8,700/- or with six years regular service in posts in Grade Pay of Rs.7,600/- in Military Engineering Service or Central or State Public Works Department or General Reserve Engineering Force or in Central Para Military organisation and having degree in Civil Engineering or equivalent.

Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately proceeding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

Note 2.— For the purpose of the appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation..

Deputation followed by re-employment :

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

By re-employment of Ex-servicemen:

From amongst officers, –

(i) who have held the rank of Brigadier or equivalent in the Corps of Engineers in the Army/Air Force/Navy; or

(ii) who have held the rank of Colonel or equivalent in the Corps of Engineers in the Army/Air Force/Navy with minimum two years service in the grade and total twenty years group 'A' service.

Note.— The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-six years on the date of receipt of application.

If a departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Special Secretary, Ministry of Home Affairs - Chairman 2. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 3. Director General of any other Central Police Organisation - Member 4. Joint Secretary (Police), Ministry of Home Affairs. - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Commandant (Engineer)	9* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs.8700.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/re-employment.

(12)

By Promotion:

Deputy Commandant (Engineer) of Indo-Tibetan Border Police with ten years regular service in the grade and total of fifteen years Group 'A' service and having degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised university or institution and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department.

Note.1—The eligibility condition for promotion in respect of Deputy Commandant (Engineer), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these rules shall continue to be 4 years regular service in the Grade and total of fifteen years Group 'A' service and the condition of having degree in Civil Engineering from a recognised university or institution shall not be applicable.

Note.2—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Lieutenant Colonel of the Crops of Engineers from the Army or Officers holding analogous post on a regular basis or with 5 years regular service in posts in Grade Pay of Rs. 7600/- in Military Engineering Service or Central or State Public Works Departments or General Reserve Engineering Force or Central Para Military Organisations and having degree in Civil Engineering.

Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately proceeding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

Note 2.— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation .

Deputation followed by re-employment:

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(13)	(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General/ Addl Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member. 4. Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Commandant (Engineer)	16* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs.6600.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By promotion failing which by deputation or re-employment.

(12)

By Promotion:

Assistant Commandant (Engineer) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service in the grade and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By deputation:

Officer's holding analogous or equivalent posts or with 5 years service in posts in Grade Pay of Rs. 5400/- under the Central or State Public Works Departments or General Reserve Engineering Force or Central Para Military Organisation and having Degree in Civil Engineering.

Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately proceeding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the date of receipt of application.

Note 2.— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation followed by re-employment:
The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(13)	(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General/Addl Director General Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman. 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member. 3. Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force - Member. 4. Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Commandant (Engineer)	43* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs.5400.	Not applicable.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. 1. Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
						Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradaesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Degree in Civil Engineering from an Institution recognised by the Central or State Government. **Physical Standard :** (i) For male: Height : 165 cms Chest : 81 cms (Unexpanded) 86 cms (Expanded) Weight: 50 Kgs. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. (ii) For female: Height : 157 cms Chest : Not applicable. Weight : Proportionate to height. Eyesight (with or without glasses) Distant vision : 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision : 0.6 in one eye and 0.8 in other eye. **Candidates should not have knock-knees and flat foot.**	Not applicable	Two years for promotion and direct recruits.	50% by promotion failing which by deputation or re-employment. 50% by direct recruitment.

(12)
By Promotion: From amongst Inspector (Overseer) of Indo-Tibetan Border Police with three years regular service in the grade and have qualified in pre-promotion course/courses conducted by department. **Note 1.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**— For the purpose of minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

By Deputation:

From amongst officers of the Central or State Public Works Departments or Central Para Military Organisations holding analogous posts on regular basis and having Diploma or Degree in Civil Engineering.

Note 1.— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion should not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. (Period of deputation including of deputation another Ex-Cadre post held immediately proceeding of this appointment in the same or other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for eligibility for deputation shall be fifty-two years on the date of receipt of application.

Note 2.— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Deputation followed by re-employment:

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(13)	(14)
Group 'A 'Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation onsisting of:- 1. Director General/Addl Director General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman. 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member. 3. Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force. - Member. 4. Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member.	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

[F. No. I.12011/4/2009-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.